प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायाधीश और**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश.

दण्डीक अपील संख्या 347 वर्ष 2002

मरकामी देवा और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु आदेश

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

सही /-

चीफ जस्टिस

निर्णय हेतु सूचिबुद्ध : 18/11/2008

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायाधीश और माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आपराधिक अपील संख्या 347 वर्ष 2002

अपीलार्थी 1. मरकामी देवा पिता ऐर्रा, उम्र लगभग 25 वर्ष।

2. मरकामी हिड़मा पिता देवा,उम्र लगभग 26 वर्ष।

3. मरकामी मल्ला पिता देवा, उम्र लगभग 24 वर्ष।

4. मरकामी देवा पिता जोगा, उम्र लगभग 23 वर्ष

सभी निवासी ग्राम मनकापाल पटेलपारा थाना.

गादीरास, जिला-दंतेवाड़ा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना

प्रभारी , पुलिस थाना गादीरास,

जिला- दंतेवाड़ा (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

श्री अवध त्रिपाठी, **अपीलार्थी** के अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(18.11.2008)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश.

(1) यह अपील चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर (बस्तर) द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 514/2000 में दिनांक 21.12.2001 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 449 एवं 302/34 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है तथा 5 वर्ष के लिए कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड तथा आजीवन कारावास एवं 300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, व्यतिकम की दशा में दिए जाने वाली सजा के साथ दण्डादेश के साथ गणना। अपीलकर्ता- मल्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया है और 1 वर्ष के लिए

कारावास और 100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, व्यतिकम की दशा में 1 महीने के लिए कारावास की सजा काटनी होगी। अपीलार्थी - मल्ला, देवा पुत्र जोगा और हिड़मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया गया है और 6 महीने के लिए कारावास और 100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, व्यतिकम की दशा में 6 महीने के लिए कारावास की सजा काटनी होगी। अपीलार्थी को दी गई सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 7.10.2000 को लगभग 4.00 बजे, अपीलार्थी ने घातक हथियारों से लैस होकर मृतक गंदमी गंगा की हत्या करने के लिए घर पर हमला किया। इस हमले के बाद, उन्होंने मृतक को उसके घर से बाहर खींच लिया और उस पर चाकू, डंडा और बांदा से हमला किया। मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को गंदमी सुकड़ी (अ.सा) -2, मृतक के छोटे भाई की पत्नी) और गंदमी मुन्नी (अ.सा -3, अ.सा -2 की बेटी) ने देखा था। सुकडी (अ.सा -2) और मुन्नी (अ.सा -3) ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन पर भी हमला किया गया। मल्ला ने सुकड़ी पर किसी हथियार से हमला किया और अन्य अपीलकर्ताओं ने मुन्नी पर हमला किया। सुकड़ी तुरंत अपने पति गंदमी लच्छा (अ.सा -1 दिनांक 8.10.2000 को गंडामी लछा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/1) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) ऐसी सूचना पर, अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और मौका-नक्शा (प्रदर्श -पी/2) तैयार किया। पंचों को सूचना (प्रदर्श -पी/10) देने के बाद, उन्होंने मृतक के शव की जाँच (प्रदर्श -पी/11) तैयार की। मृतक के शव को प्रदर्श -पी/12 के तहत पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकमा भेजा गया और शव-परीक्षण डॉ. आर.के. कुरुवंशी (अ.स.-5) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श -पी/4 तैयार की। शव-परीक्षा सर्जन को मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीं:

(i) माथे पर 1 इंच x 1 इंच आकार का एक कटा हुआ घाव;

(ii) बाएं कान के ऊपरी भाग-पिण्ड कटा हुआ था और उसके चारों ओर सूजन थी;

(iii) खोपड़ी के पिछले भाग में पश्चकपाल अस्थि पर लगभग 3 इंच का एक कटा हुआ घाव;

(iv) छाती के दाहिनी ओर लगभग 2 इंच लम्बा एक छेदा हुआ घाव और

(v) गर्दन के ऊपरी भाग पर सूजन।

शव-परीक्षा सर्जन के अनुसार, सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। चोट संख्या 1, 3 और 5 किसी कठोर और खुरदरी वस्तु से लगी थीं, जबकि चोट संख्या 2 और 4 किसी कठोर और धारदार हथियार से लगी थीं। आंतरिक परीक्षण में, उन्होंने पाया कि पश्चकपाल अस्थि (ओसीसीपिटल बोन) में फ्रैक्चर था। दाहिनी छठी और सातवीं पसलियाँ भी फ्रैक्चर थीं और दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था। मस्तिष्क में रक्त मौजूद था और खोपड़ी के आधार से पहली ग्रीवा अस्थि अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण हाइपोवोलेमिक और न्यूरोजेनिक शॉक था, जो महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप हुआ था और यह हत्या की प्रकृति का था।

(4) आगे की जांच में, अपीलार्थी मरकामी मल्ला के कब्जे से प्रदर्श.-पी/15 के तहत एक चाकू जब्त किया गया, अपीलकर्ता मरकामी देवा पुत्र जोगा के कब्जे से प्रदर्श.-पी/16 के तहत डंडा जब्त किया गया और मरकमी देवा पुत्र ऐरा के कब्जे से प्र.-पी/17 के तहत एक लोहे का बंडा ज़ब्त किया गया। गंदमी सुकड़ी (अ.सा .-2) और गंदमी मुन्नी (अ.सा .-3) को भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और उनकी चोट रिपोर्ट प्र.-पी/7 और पी/25 प्राप्त हुईं। गंदमी सुकड़ी के सिर के पिछले हिस्से पर लगभग डेढ़ इंच का एक छोटा सा घाव था, जबकि गंदमी मुन्नी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) सामान्य जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुकमा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को सौंप दिया, जहां से इसे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा स्थानांतरण पर प्राप्त किया गया!

(6) जिन्होंने परीक्षण किया और अभियुक्तों/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई। दो चश्मदीद गवाहों गंदमी सुकड़ी (अ.सा.-2) और गंदमी मुन्नी (अ.सा.-3) को चिकित्सा साक्ष्य, एफआईआर और मामले की अन्य परिस्थितियों के आधार पर पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी ने मृतक की हत्या से संबंधित मामले में कोई विवाद नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों चश्मदीद गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं क्योंकि वे मृतक के सगे भाई की पत्नी और पुत्री हैं, इसलिए वे हितबद्ध गवाह हैं और उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जहाँ तक अपीलकर्ता हिडमा का संबंध है, वह निहत्था था, इसलिए, इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत धारा 449 और 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस अपीलार्थी द्वारा समान आशय साझा करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(8) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(10) सर्वोच्च न्यायालय ने रिज़ान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, [एआईआर 2003 एस.सी. 976] में , पैरा 6 में यह निर्णय दिया कि किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला यह कोई कारक नहीं है,कि गवाह रिस्तेदार है ! अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिस्तेदार वास्तविक अपराधी

को नहीं छिपा पाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा देता है। यदि झूठे आरोप लगाने की दलील दी जाती है, तो आधार तैयार करना होगा। ऐसे मामले में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

(11) **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक गवाह जो मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'हितधारक' नहीं माना जा सकता। 'हितधारक' शब्द का अर्थ है कि गवाह का किसी द्वेष या अन्य परोक्ष उद्देश्य से अभियुक्त को किसी न किसी तरह दोषी ठहराए जाने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक करीबी रिश्तेदार को 'हितधारक' गवाह नहीं माना जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक' गवाह है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच में, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से विश्वसनीय पाया जाता है, ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट संबंधी सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने में सबसे अधिक अनिच्छुक होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने **हरबंस कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 2074] में** मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि कानून में यह प्रस्ताव नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठे गवाह माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का तर्क दिया जाता है, तो यह साबित करने के लिए तर्क देना पड़ता है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फंसाने का क्या कारण था।

(12) इसलिए, उपरोक्त के अनुसार , यह नहीं माना जा सकता है कि अ.सा.-2, गंदमी सुकड़ी और अ.सा.-3, गंदमी मुन्नी की गवाही पर केवल इस आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वे करीबी रिश्तेदार हैं मृतक की। हमें उनके साक्ष्य की उचित सावधानी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और सतर्कता के साथ जांच करनी है और यदि उनके साक्ष्य उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करके प्रशंसा में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो उनकी ऐसी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।

(13) अ.सा.-2, सुकड़ी ने गवाही दी कि मृतक गंगा उसके पति का भाई था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम लगभग 4 बजे, उसकी हत्या अपीलकर्ताओं- मरकमी देवा, मरकमी मल्ला, हिड़मा और मरकमी देवा ने लाठी, डंडा और चाकू से हमला करके कर दी। उसने आगे कहा कि जब अपीलार्थी उसके जेठ पर हमला कर रहे थे, वह घर में मौजूद थी और जब उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अपीलार्थी मल्ला ने उसके सिर पर चाकू से हमला कर दिया। उसने आगे गवाही दी कि मुन्नी (अ.सा.-3) भी उस समय मौजूद थी और अपीलार्थी ने उस पर भी हाथ और थप्पड़ों से हमला किया था। उसने प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका के बारे में भी गवाही दी है और गवाही दी है कि हिड़मा ने मृतक पर हाथ और थप्पड़ों से हमला किया था। उसने बहुत स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि जब मृतक पर अपीलार्थी द्वारा हमला किया गया था, तो वह धन कोठी (गांव में धान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा बर्तन) में छिप गया था, लेकिन अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया और उस पर उपरोक्त तरीके से हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अ.सा.-3, मुन्नी ने यह भी गवाही दी कि अपीलार्थी ने मृतक गंगा पर हमला किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना को उसने और उसकी माँ ने देखा था। उसने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि जब अपीलार्थी मृतक को धमका रहे थे, तो वह घर के अंदर भाग गया और खुद को पुट्टी (धान रखने का बर्तन) में छिपा लिया, लेकिन अपीलार्थी भी घर में घुस गए, उसे पुट्टी से बाहर निकाला और घर से बाहर गली में घसीटकर ले गए और फिर उसके साथ मारपीट की।

(15) हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने इन गवाहों से लंबी जिरह की, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं लाया जा सका, जिसके आधार पर या तो उनकी गवाही को खारिज

किया जा सके या यह माना जा सके कि वे अपीलार्थी को संबंधित अपराध में झूठा फंसा रहे हैं। अ.सा -2, गंदमी सुकड़ी मृतक के सगे भाई की पत्नी हैं और अ.सा -3, गंदमी मुन्नी उनकी बेटी हैं, इसलिए घटनास्थल पर लगभग 4 बजे शाम को उनकी मौजूदगी अस्वाभाविक नहीं है। इसके अलावा, इन दोनों गवाहों को भी उसी घटना में चोटें आई हैं, जिससे उनका यह दावा मजबूत होता है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने घटना देखी थी, जो निश्चित रूप से उनके घर में हुई थी। इन गवाहों की गवाही अ.सा -1, गंदमी लाछा, जो मृतक के भाई और उनकी पत्नी के पति हैं, की गवाही से पुष्ट होती है। अ.सा.-3, गंडामी सुकड़ी। उसने बयान दिया कि अ.सा.-3 ने उसे घटना के बारे में सूचित किया था, जिसके आधार पर उसे सब कुछ पता था और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गवाहों के उपरोक्त बयान अ.सा.-1, गंडामी लच्छा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (प्रत्यक्ष -पी/1) की विषयवस्तु से भी पुष्ट होते हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डॉक्टर के साक्ष्य प्रत्यक्ष -2 और प्रत्यक्ष -3 के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं और प्रशंसा में, हमें उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है और अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दी गई पहली दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) धारा 34 भारतीय दंड साहिता की सहायता से अपीलार्थी हिडमा को धारा 449 और 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के बारे में, श्री अवध त्रिपाठी ने तर्क दिया कि वह निहत्था था और वह बस घटनास्थल पर गया और मृतक पर हाथों और थप्पड़ों से हमला किया, इसलिए, वह एक समान इरादे को साझा नहीं कर रहा था और उसका मामला अलग था।

(17) *हमने उक्त तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

(18) धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और किसी मूल अपराध का निर्माण नहीं करती। इस धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के अंतर्गत तब उत्पन्न होता है जब ऐसा आपराधिक

कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के साझा इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। साझा इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण कम ही उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे इरादे का अनुमान केवल सिद्ध तथ्यों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। मामले और सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर। सामान्य आशय के आरोप को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि जिस अपराध के लिए उन पर धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया है, उसे करने के लिए सभी अभियुक्तों की योजना थी या उनके विचार एकमत थे, चाहे वह पूर्वनियोजित हो या क्षणिक आवेग में किया गया हो; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के होने से पहले होना चाहिए। अपराध इस धारा की वास्तविक विषय-वस्तु यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून की स्थिति वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया हो। किसी अपराध में प्रतिभागियों के बीच एक समान आशय का अस्तित्व इस धारा के लागू होने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने के आरोपी कई व्यक्तियों के कार्य एक जैसे या एक जैसे ही हों। ये कार्य प्रकृति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक ही समान आशय से प्रेरित होना चाहिए। कृपया अनिल शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य (2004) 5 एससीसी 679 देखें। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि 1870 में, धारा 34 में संशोधन करके "व्यक्तियों" शब्द के बाद और "प्रत्येक" शब्द से पहले "सभी के समान आशय को अग्रसर करने हेतु" शब्द जोड़े गए थे, ताकि धारा 34 का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। यह धारा न तो "सभी के समान आशय" कहती है, न ही "सभी के लिए समान आशय" कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार अभियुक्त द्वारा ऐसे आशय को अग्रसर करने हेतु एक समान आशय के अस्तित्व में निहित है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 के साथ धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, तो विधि में यह इसका अर्थ है कि अभियुक्त उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जिससे मृतक की मृत्यु हुई हो मानो वह कृत्य अकेले उसके द्वारा किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो। यह प्रावधान ऐसे मामले के लिए है जिसमें किसी पक्ष के उन अलग-अलग सदस्यों के कृत्यों में अंतर करना कठिन हो सकता है जो सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं या यह साबित करना कठिन हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या भूमिका निभाई थी।

(19) सर्वोच्च न्यायालय ने दानी सिंह बनाम बिहार राज्य, [2005 एससीसी (सीआरआइ) 127 (पैरा 20)] के मामले में आगे कहा कि समान आशय का गठन करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आरोपी का आशय बाकी सभी को ज्ञात हो और वे उसमें भागीदार हों। निस्संदेह, किसी व्यक्ति का आशय सिद्ध करना भी कठिन है और इसलिए, व्यक्तियों के समूह का समान आशय दर्शाना और भी कठिन है। लेकिन कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अभियोजन पक्ष को अभियुक्तों के तथ्यों, परिस्थितियों और आचरण के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे उनके समान आशय को सुरक्षित रूप से जाना जा सके। अधिकांश मामलों में, यह मामले के कृत्य, आचरण या अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या अभियुक्तों का कोई ऐसा सामान्य आशय था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सके, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कोई कार्य सामान्य आशय को आगे बढ़ाने वाला है या नहीं, यह तथ्य की घटना है, कानून की नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों पर अपीलार्थी हिड़मा के मामले की जाँच करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह अन्य अपीलार्थी के साथ मृतक के घर गया था, जो चाकू, डंडा और बाँदा जैसे घातक हथियारों से लैस थे। जब उन्होंने मृतक पर हमला करने की कोशिश की, तो वह अपने घर के अंदर चला गया और पुट्टी में छिप गया, लेकिन अपीलार्थी घर के अंदर गए, मृतक को ढूँढा; पुट्टी से बाहर निकाला; उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर घसीटा और फिर

उस पर डंडे, चाकू, बाँदा और हाथ-मुक्कों से हमला किया, जैसा कि अ.सा..-2, गंडामी सुकड़ी ने बयान किया है। अपीलार्थी हिड़मा का कृत्य इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि मृतक की हत्या करने का उसका अन्य अपीलार्थी के साथ एक ही इरादा था, और उससे कम कुछ नहीं। अगर उसका यह इरादा नहीं होता, तो उसे मृतक के घर तक मार्च पूरा होने के बाद खुद को अलग कर लेना चाहिए था और घर के आगे नहीं जाना चाहिए था और अन्य अपीलार्थी द्वारा मृतक की तलाशी लेने, उसे ज़बरदस्ती घसीटने और उस पर घातक हथियारों से हमला करने में शामिल नहीं होना चाहिए था, जिसमें उसने भी हाथ-मुक्कों से हिस्सा लिया था। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दूसरी दलीलें भी स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) उपर्युक्त कारणों से, हमें सत्र न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं दिखती, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अपील सारहीन है , इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही /-मुख्य न्यायाधीपति सही /-सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप

ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....तेजस्विता नंदिनी शाह .....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur